JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

एक काले कानून का अंत

डॉ. वर्षा सागोरकर,

सह प्राध्यापक राजनीति विज्ञान

शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल

संक्षेपिका–

अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता भारतीय नागरिकों का एक मौलिक अधिकार हैं जिस पर संविधान द्वारा विवेक सम्मत सीमाएँ भी लगाई गई है। किन्तु बारम्बार यह प्रष्न उपस्थित होता है कि कहने, लिखने अथवा कला माध्यमों से भावों को अभिव्यक्त करने की स्वतन्त्रता किस सीमा तक होनी चाहिए? यह प्रष्न सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष था। धारा 66। के तहत् अपराध की परिभाषा अस्पष्ट थी एवं उसका क्षेत्र व्यापक। इसके तहत् इन्टरनेट अथवा सोषल मीडिया पर आहत करने वाली अथवा भयंकर विचार टिप्पणी, चित्र या विजुअल डालने को अपराध की श्रेणी में रखा गया लेकिन इसकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई थी जिसके कारण षिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की मृत्यु पर मुबंई बंद के विरूद्ध फेसबुक पर टिप्पणी करने वाली व उसके लाइक करने वाली व उसके लाइक करने वाली दो युवतियों को धारा 66। के तहत् गिरफ्तार किया गया। इस घटना के उपरान्त सर्वोच्च न्यायालय में इस धारा की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए आवेदन दिया गया। इसके अतिरिक्त कार्टुन या साधारण टिप्पाणीयों को शेयर करने वाले कई व्यक्तियों को कारावास में डाला गया। तब सर्वोच्च न्यायालय ने सभी पक्षों एवं पहलुओं पर विचार करते हुए 25 मार्च 2015 को सूचना एवं प्रौघोगिकी अधिनियम की संषोधित धारा 66। रद्द करके अभिव्यक्ति की उस स्वतन्त्रता को संरक्षण प्रदान किया जो भारतीय संविधान द्वारा देष के नागरिकों को प्राप्त है। यह सही है कि अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के नाम पर सोषल नेटवर्किंग साइट पर कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। जब हम लिखते हैं तो ध्यान रखते हैं कि हमारे लेखन से किसी की भावनाएँ आहत ना हो। किन्तु यह भी सत्य है कई व्यक्ति इस बात का ध्यान नहीं रखते ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 66। एक अचूक शस्त्र सिद्ध हो रही थी, पुलिस को मनमर्जी करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। इसलिए इस

कानून को अंसवैधानिक सिद्ध करते हुए न्यायालय द्वारा रद्द किया गया जिसके कारण अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पोषित हुई।

प्रमूख शब्द – ऑफन्सिव, दुरूपयोग, अभिव्यक्ति, स्वतन्त्रा।

प्रस्तावना

मॉरिस जोन्स लिखते हैं कि भारतीय संविधान में अधिकारों की रक्षा की सुद्दढ़ गॉरटी दी गई है, क्योंकि कोई भी ऐसा कानून अथवा विधि जो इन अधिकारों का अतिक्रमण करती हो, उसे न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है तथा नागरिक भी संवैधानिक उपचारों के माध्यम से अपने अधिकारों की रक्षा के लिये रिट् दायर कर सकते हैं।

एक स्वतन्त्र प्रजातांत्रिक राष्ट्र में मौलिक अधिकार, सामाजिक, धार्मिक एवं नागरिक जीवन में प्रभावदायक विकास का साधन होते हैं। किसी भी प्रकार के अधिकारों के अभाव में प्रजातंत्रात्मक सिद्धांतों को लागू किया नहीं जा सकता। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को अपने व्यक्तित्व के अनुसार विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकारों से सुसज्जित किया गया है क्योंकि मौलिक अधिकारों का उद्देष्य व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा समाज के सभी सदस्यों की समानता पर आधारित लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा करना होता है। इन अधिकारों में वैयक्तिक स्वतन्त्रता के अधिकार का स्थान मूल अधिकारों में सर्वोच्च माना गया है क्योंकि स्वतन्त्रता ही जीवन है। इन अधिकारों में भी वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारषिला माना गया है एवं आलोचनात्मक शक्ति को, जो प्रजातांत्रिक सरकार के समुचित संचालन के लिए आवष्यक है, विकसित करना संभव नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अधिकार को मानव के नैसंर्गिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया है। यह एक ऐसा बुनियादी मानवाधिकार है जो अन्य सभी अधिकारों से महत्वपूर्ण है। न्यायालय की यह स्पष्ट घोषणा है कि संविधान प्रदत्त यह स्वतन्त्रता किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र अथवा संस्था की जीवन रेखा है एवं इस अधिकार का किसी रूप में दमन लोकतन्त्र के विरूद्ध माना जाएगा। सन् 2008 में जर्मनी में दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों के साथ संवाद के दौरान वहॉ के पत्रकार ने टिप्पणी में पूछा कि क्या आप भारत से हैं? बहुत सौभाग्यषाली है क्योंकि आप इतनी बातें कह पाते हैं, सरकार के गलत कार्यों का विरोध कर सकते हैं। उनकी नीतियों की आलोचना कर सकते एवं संसद की अक्षमता पर गंभीर टिप्पणीयॉ भी कर देते हैं किन्तु इतनी स्वतन्त्रता हमें प्राप्त नहीं? अभिव्यक्ति की वंचित होने की पीड़ा को सहन करते हुए हम जी रहे हैं। वाकई हम भारतीय बहुत ही सौभाग्यषाली हैं कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अधिनियम हमें जानने की स्वतन्त्रता प्रदान करता है एवं मानव अधिकार घोषणा पत्र भी अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को एक अधिकार के रूप में स्वीकार करता है।

विचारों का आदान–प्रदान मानव सभ्यता के प्रारम्भ से जुड़ा है। विचारों के आदान–प्रदान से मानव का वैयक्तिक विकास एवं समाज की सामाजिकता का विकास होता है। नवजात षिषु का क्रंदन बाह्य जगत के प्रति उसकी प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति की इच्छा व्यक्ति की भावनाओं, कल्पनाओं एवं चिन्तन से प्रेरित होती है। अपने मत या भावना को प्रगट करने हेतु कभी–कभी वह स्वयं से वार्तालाप करने लगता है। इसी अभिव्यक्ति से मानव अपने मनोभावों को प्रकाषित कर अपनी भावनाओं को रूप प्रदान करता है।

अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का तात्पर्य साधारणतः बोलने या वाक् की स्वतन्त्रता से लगाया जाता है किंतु बोलने मात्र की स्वतन्त्रता की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता नहीं माना जा सकता क्योंकि वाक् के अतिरिक्त इसमें कई अन्य तथ्यों का समावेष भी होता है। भाषण या वक्तव्य देने से लेकर लिखने पढ़ने, पत्र–पत्रिकाएॅ प्रकाषित करने, नाटक एवं नुक्कड़ नाटक लिखने करने डाक्यूमेंटरी एवं फीचर फिल्म बनाने, दिखाने, रेडियों, टेलीविजन कार्यक्रम प्रस्तुत करने, सार्वजनिक मंच अथवा सोषल मीडिया पर सहमत, असहमत होते हुए मतभेद एवं विरोध प्रगट करते हुए अपने विचार व्यक्त करना, सड़को पर जुलुस निकालने, नारे लगाने, धरना प्रदर्षन, घेराव, हड़ताल करने, साहित्यक सांस्कृतिक आन्दोलन चलाकर, सामाजिक व राजनीतिक संगठन बनाकर मानव को श्रेष्ठ बनाने की दिषा में विभिन्न कार्यों का सम्पादन करना ही अभिव्यक्ति है। इसी अभिव्यक्ति से मानव अपने मनोभावों को प्रकाषित कर अपनी भावनाओं को रूप प्रदान करता है। वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अर्थ है–षब्दों, लेखों, मुद्रणों, च्तपदजपदह चिन्हों या किसी अन्य प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करना। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में किसी व्यक्ति के विचारों को किसी ऐसे माध्यम से अभिव्यक्त करना सम्मिलित है जिससे वह दूसरों तक उन्हें संप्रेषित कर सके। इस प्रकार इसमें संकेतों, अंकों, चिन्हों अथवा ऐसी ही अन्य क्रियाओं द्वारा किसी व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति सम्मिलित है। अनुच्छेद 19 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति शब्द इसके क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर देता है। विचारों को व्यक्त करने के जितने भी माध्यम हैं वे अभिव्यक्ति, पदावली के अन्तर्गत आ जाते हैं। इस अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में प्रेस की स्वतन्त्रता भी सम्मिलित है। विचारों का स्वतंत्र प्रसारण ही इस स्वतन्त्रता का मुख्य उद्देष्य है। रोमेष थापर बनाम मद्रास राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि श्वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में विचारों के प्रसार की स्वतन्त्रता के लिए परिचालन की स्वतन्त्रता उतनी ही आवष्यक है जितनी की प्रकाषन की स्वतन्त्रता मात्र अपने ही विचारों के प्रसार की स्वतन्त्रता नहीं है। इसमें दूसरो के विचारों के प्रसार एवं प्रकाषन की स्वतन्त्रता भी सम्मिलित है, जो प्रेस की स्वतन्त्रता द्वारा ही संभव है।

इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स बनाम भारत संघ के मामले में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयानुसार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता चार उद्देष्यों की पूर्ति करती है–(1) यह व्यक्ति की

आत्मोन्नति में सहायक होती है।(2) सत्य की खोज में सहायक होती है, (3) व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ करती है, (4) वह स्थिरता और सामाजिक परिवर्तन में युक्तियुक्त सांमजस्य स्थापित करने में सहायक होती है।

भारतीय प्रेस कमीषन के विचारानुसार श्जनतंत्र मात्र विधानमण्डल की सचेत देखभाल में ही नहीं बल्कि लोकमत के मार्गदर्षन एवं देखभाल के अन्तर्गत फलता–फूलता है, और समाचार पत्रों के माध्यम से व्यक्त होता है।श किसी सूचना अथवा विचार को बोलकर, लिखकर या अन्य किसी रूप में बिना किसी बाधा अथवा रोक–टोक के अभिव्यक्त करने की स्वतन्त्रता को थ्तममकवउ व िम्गचतमेपवद कहा जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करने का एक राजनीतिक अधिकार है जिसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति न सिर्फ विचारों का आदान–प्रदान कर सकता है। बल्कि किसी भी प्रकार की सूचना अथवा जानकारी (ज्ञान) का भी आदान–प्रदान कर सकता है। हालॉकि यह अधिकार सार्वभौमिक नहीं इस पर समय–समय पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाये जा सकते हैं। राष्ट्र राज्य के पास यह अधिकार होता हैं कि वह संविधान एवं विधि के अन्तर्गत अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर बंधन लगा सकता है। कुछ विषेष परिस्थितियों जैसे बाह्य अथवा आंतरिक आपातकाल अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता सीमित हो जाती है। न्छ के सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र में कहा गया हैं कि किसी भी व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार होगा जिसके अन्तर्गत वह किसी भी प्रकार की सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु स्वतंत्र होगा।

अर्थात् अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता अति महत्वपूर्ण अधिकार के रूप में स्वीकार की गई है एवं इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19(ए) में किया गया है क्योंकि यह स्वतन्त्रता संकुचित नहीं बल्कि बहुआयामी है। जब अभिव्यक्ति संवाद का रूप धारण कर लेती है तो लोग सोषल नेटवर्किंग साइट पर ऐसा कुछ लिख देते हैं जिसके कारण अन्य व्यक्ति अथवा संस्थाओं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। इसीलिए 2008 में सूचना एवं प्रौघोगिकी के एक्ट के अन्तर्गत संषोधन कर धारा 66ए जोड़ी गई। यह धारा इस तरह के प्रभावित करने वाले लेखन को प्रतिबंधित करती थी।

धारा 66ए तात्पर्य अथवा औचित्यः– यह धारा ब्रिटेन की विधि से लायी गई है। 21 वीं सदी के आरम्भ में राजग के कार्यकाल में सन् 2000 में सूचना एवं प्रौघोगिकी एक्ट का निर्माण किया गया। जिसमें 2008 में आवष्यकतानुसार संषोधन एवं परिवर्तन किये गये। भारत में मई 2000 में सूचना प्रौघोगिकी अधिनियम 2000 पारित किया व 17 अक्टूबर 2000 को एक अधिसूचना जारी कर इसे लागू किया। सूचना प्रौघोगिकी अधिनियम, 2000 में सूचना प्रौघोगिकी अधिनियम, 2008 के माध्यम से काफी संषोधन किये गये। जिसे 23 दिसम्बर 2008 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया। इस अधिनियम का उद्देष्य अपराध एवं उल्लघंन एवं साइबर अपराधों के लिए न्याय की व्यवस्था करना था।

इसी के अन्तर्गत एक संषोधन धारा 66(ए) जोड़कर किया गया इसमें केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के लिए नवीन दिषा निर्देष 29 नवम्बर 2012 को जारी किये। इस धारा का संबंध इलेक्ट्रानिक डिवाइसेज पर आपत्तिजनक कमेट या कंटेट पोस्ट करने से हैं।

इस धारा के अनुसार किसी भी संचार माध्यम से प्रेषित किया जाने वाला संदेष अथवा सूचना, आपत्तिजनक, अष्लील अथवा अपमानजनक हो तो संदेष प्रेषित करने वाले व्यक्ति एवं उसे पंसद करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। इस धारा के तहत् निम्न आधारों पर पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त हो जाता था–

1. कोई भी सूचना अथवा संदेष जो आपत्तिजनक अथवा धमकी भरा हो।
2. ऐसी कोई भी सूचना जो कम्प्यूटर अथवा अन्य संचार माध्यमों का आश्रय लेकर प्रेषित की गई हो एवं जिसका उद्देष्य इसके माध्यम से किसी व्यक्ति को आहत करना, असहन करना, अपमानित करना, हानि पहुॅचाना, धमकाना अथवा घृणा का प्रसार करना हो।
3. कोई भी ई–मेल अथवा मैसेज, जो भ्रमित करता हो, असहज अथवा आहत करता हो।
4. ऐसा लेखन जो असहज करने, चिढ़ाने, आपत्तिजनक अथवा अपमानित करने वाला हो उसका लेखक दण्ड का अधिकारी होगा।
5. इस धारा के अन्तर्गत अपराध सिद्ध होने पर 3 वर्ष का कारावास व लगभग 5 लाख रूपये जुर्माना निष्चित किया गया था। ऐसे बहुत से मामले ऐसे हैं जिन पर इस धारा के तहत कार्यवाही की गई।

धारा 66ए पर विभिन्न विवाद–

1. सन 2012 में मुबंई में षिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के विरूद्ध कमेंट करने पर दो युवतियों रेणु श्रीनिवासन एवं शहीन धाड़ा को गिरफ्तार किया गया एवं जिसका विरोध सम्पूर्ण राष्ट्र भर में हुआ। उनका अपराध मात्र ये कि उन्होंने फेसबुक पर पूछा कि बाल ठाकरे को अंतिम संस्कार में शहर को बंद क्यों रखा है।
2. 2015 एस.पी. एवं अखिलेष सरकार के मंत्रिमण्डल में मंत्री रहे नेता आजम खान के विरूद्ध सोषल मीडिया पर टिप्पाणी करने पर यू.पी. के छात्र को गिरफ्तार किया गया।
3. असीम त्रिवेदी सि. 2012 जिन्हें मुबंई पुलिस ने गिरफ्तार किया था इन्होंने अपनी वेबसाइट पर आपत्तिजनक कार्टुन पोस्ट करने समेत फेसबुक पेज पर भ्रष्टाचार को संसद से विषाल बताते हुए मॉक किया था।

4. 2012 एअर इंडिया के केबिन क्रू मेंबर्स में सम्मिलित मंयक मोहन शर्मा एव ंके वी जे राव को मुबंई पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हुए प्रधानमंत्री और अन्य राजनेताओं पर जोक बनाकर फेसबुक पर पोस्ट किया था।
5. जम्मू–काष्मीर (अक्टूबर 12) के किस्वाड जिले 3 युवकों को 40 दिनों तक कारावास का दण्ड दिया गया था। इन तीनों युवकों को ईषनिंदा पर बने एक वीडियों को फेसबुक पर टैंग करने एवं इनमें से एक द्वारा इस पर कमेन्ट करने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
6. अप्रैल 2012 – जादवपुर विष्वविद्यालय के प्राध्यापक अंविकेष महापात्र और उनके पड़ौसी सुव्रत सेन गुप्ता को पष्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्टून को सर्कुलेट करने पर गिरफ्तार कर लिया था। कार्टून इन्टरनेट पर पहले से ही वॉयरल हो चुका था यह कार्टुन उनके मंत्रीमण्डल के रेलमंत्री दिनेष त्रिवेदी को पद से हटाने पर बनाया गया था।
7. अक्टूम्बर 2012 व्यवसायी रवि श्रीनिवास को ट्विटर पर पी. चिन्दरंबरम् के पुत्र के विरूद्ध मैसेज(संदेष) लिखने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
8. अगस्त 2013 कवि एवं लेखक कंवल भारती को पुलिस ने उत्तरप्रदेष सरकार के विरूद्ध फेसबुक पर गलत संदेष डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कवंल भारती ने यह संदेष रेत माफिया के विरूद्ध कार्यवाही करने वाली आई.एस. आफिसर आधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को लेकर किया था।
9. मई 2014 – देबू चोदंकड बरेली के इस नवयुवक ने (जो जहाज बनाने के व्यवसाय से जुड़ा था) फेसबुक पर मोदी के विरूद्ध आपत्तिजनक कमेंट किया था जिसके चलते उस पर कड़ी कार्यवाही की गई।
10. अगस्त 2014 में राजीष कुमार ने फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरूद्ध कमेन्ट किया। केरल के.सी.पी.आई. एम. कार्यकर्ता के राजीष पर पूर्व में भी कार्यवाही हो चुकी थी।

विष्व के 32 विकासषील राष्ट्रों में किये गये अध्ययन के अनुसार भारत में इंटरनेट तक मात्र 20ः लोगों की पहुॅच है। मात्र 14ः भारतीय स्मार्टफोन रखते हैं। पीव रिसर्च सेन्टर के द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार श भारत में इंटरनेट का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में से 65ः व्यक्ति ही फेसबुक एवं ट्विटर जैसे सोषल नेटवर्किंग बेवसाइट को देखते हैं। जबकि 55ः लोग नौकरियॉ खोजने के लिए इन्टरनेट का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं की मात्र भारत में ही नेटवर्किंग साइट पर लिखने पर पाबंदी लगायी गयी बल्कि विष्व के अनेक ऐसे राष्ट्र हैं जहॉ पर सोषल नेटवर्किंग साइट पर प्रतिबंध लगाया गया है।ष टयूनीषिया एवं मिस्त्र में सत्ता के परिवर्तन में फेसबुक, ट्विटर, यूटयूब एवं अन्य सोषल साइटों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 2008 में 30,000 ट्यूनीषियाई फेसबुक पर थे। ऑनलाइन माध्यमों पर

ट्यूनीषिया ने कठोर सेंसरषिप लगा रखी थी। उसके बावजूद ट्यूनीषियाई नागरिकों के फेसबुक में जुड़कर किये गये विरोध के कारण वहॉ शासक को 2011 में (वेन अली) को देष छोड़कर भागना पड़ा। 2008 में मिस्त्र के महाला नगर में श्रमिकों के द्वारा की गई हड़ताल की बात इसलिए इन्टरनेट के माध्यम से फैलने के कारण फेसबुक के उपभोक्ता बढ़ने लगे। ट्यूनीषिया के समान मिस्त्र में आन्दोलन ने उग्र रूप तब धारण कर लिया जब एक कम्प्यूटर प्रोग्रामर को पुलिस द्वारा बहुत कुरता के साथ मार डाला गया और फेसबुक पर अपलोड किये गये वीड़ियों ने पूरी पोल खोल दी तब विद्रोह तीव्र हो गया जिसके कारण वहॉ के राष्ट्राध्यक्ष हुस्नी मुबारक को त्याग पत्र देना पड़ा। मिस्त्र एवं ट्यूनीषिया के आन्दोलन से प्रभावित जैस्मीन आन्दोलन को चीन में मिल रहे प्रतिसाध एवं समर्थन के कारण चीन सरकार ने सोषल नेटवर्किंग साइट पर प्रतिबंध लगा दिया। मैक्सिकों, ग्वाटेमाला, ब्राजील, इटली, इथियोपिया, सूडान, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, चीन, वियतनाम, थाईलैण्ड जैसे कई राष्ट्रों में सोषल मीडिया पर पांबदी लगा रखी है।

भारत में धारा 66ए के अन्तर्गत कुछ इसी तरह करने का प्रयत्न किया गया था। किन्तु इस धारा में कुछ कमियॉ थी जिसके रहते दिल्ली की श्रेया सिंघल ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। उन्होंने षिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे पर कंमेंट करने पर गिरफ्तार की गई दो लड़कियों शाहीन धाडा एवं रेणु श्रीनिवासन को न्याय दिलाने के लिए यह कदम उठाया था। उन्होंने इंटरनेट पर अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर निर्मित धारा 66। को संविधान के विरूद्ध होने के कारण समाप्त करने की मांग की। उनकी याचिका पर न्यायाधीष अल्तमास कबीर ने आष्चर्य प्रकट किया कि श्आष्चर्य है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र में अब तक किसी ने भी इस धारा को चुनौती नहीं दी।[8] सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस धारा के कारण विधि स्वतन्त्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता जो की लोकतंत्र के प्रमुख स्तम्भ है उनकी जड़ में टक्कर मार दी है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय (मार्च 24, 2015) जिसने सोषल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को और अधिक बढ़ बना दिया। आई.पी.सी. की धारा के तहत आई.टी. सेक्षन की धारा 66। को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि यह धारा 66। संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का स्पष्ट उल्लघंन है। और किसी भी परिस्थिति में संविधान की धारा 19(1) एवं 19(2) का उल्लघंन नहीं किया जा सकता लिहाजा आई.टी. की धारा 66। असंवैधानिक है। इस निर्णय के उपरांत फेसबुक ट्विटर सहित सोषल मीडिया पर की जाने वाली किसी भी आपत्तिजनक टिप्पणी पर पुलिस अपराधी को तुरन्त गिरफ्तार नहीं कर सकती। न्यायालय ने प्रावधान को स्पष्ट करते हुए कहा कि श्किसी एक व्यक्ति के लिए जो बात अपमानजनक हो सकती है वह किसी अन्य के लिए नहीं भी हो सकती।[8]

विचारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को हिंसा अथवा शक्ति से दमन करने का प्रयास असाह्यता का परिचायक है। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता संकुचित नहीं बल्कि बहुआयामी है। यह धारा उस स्वतन्त्रता को बाधित करती थी जो भारतीयों को संविधान द्वारा प्रदत्त थी। इस धारा के अन्तर्गत ऐसा लेखन जो असहज, चिढ़ाने, आपत्तिजनक या अपमान करने वाला हो उसका लेखक दण्ड का भागी होगा। न्यायालय द्वारा निर्णय के अन्तर्गत यह संज्ञान लिया गया कि चढ़ने वाला या आपत्तिजनक लेखन की कोई परिभाषा किसी भी विधि में नहीं दी गई है तब लेखक को यह कैसे ज्ञात होगा कि उसके किस प्रकार के लेखन से अन्य व्यक्तियों को आपत्ति होगी। चूंकि आपत्तिजनक अथवा अपमानजनक लेखन की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं इसलिए यह धारा पुलिस को मनमानी करने का अधिकार देती है इसलिए इसका समाप्त होना ही आवष्यक था। भारत के लगभग 30 करोड़ लोग नेटवर्किंग साइट एवं सोषल मीडिया का प्रयोग करते हैं। जो व्यक्ति गलत सोच रखते हैं, लिखते हैं, अफवाहें फैलाते हैं अथवा भ्रमक सूचनाएँ देते हैं ऐसे लोगों से निपटने के लिए भारत में विधियों की कमी नहीं। भारतीय दण्ड संहिता में भी अनेक ऐसी विधियॉ जिसके अन्तर्गत इस प्रकार की कारगुजारियों पर कार्यवाही की जा सकती है अतः धारा 66। जैसे कानून की कोई आवष्यकता नहीं थी ऐसे काले कानून का विदा हो जाना नागरिकों के हित में ही था। यह कदम स्वतन्त्रता की गरिमा को बढ़ाने वाला था क्योंकि स्वतन्त्रता व स्वच्छन्दता में अन्तर होता है और न्यायालय स्वतन्त्रता के पक्ष में है ना कि स्वच्छन्दता या उश्रृंखलता। चूंकि धारा में आपराधिक कृत्यों को सही तरीके से परिभाषित नहीं किया गया। नाराजगी, उत्पन्न करने वाले, असुविधाजनक, बहुत अपमानजनक कमेंट पर गिरफ्तार का प्रावधान उचित नहीं। ये तीनों ही शब्द ऐसे हैं जिन्हें छोटी से छोटी घटना पर भी लागू किया जा सकता है ऐसे में पुलिस एवं प्रषासन को मनमाने ढ़ग से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार का अधिकार मिल जाता था।

आवष्यकता मात्र इस बात की है कि शासन नवीन सिरे से विचार कर प्रावधानों का निर्माण करे जो इन्टरनेट एवं सोषल मीडिया की स्वतन्त्रता प्रकृति की रक्षा करते हुए लोगों की निजता सुरक्षित रखने की गॉरन्टी ले। ताकि आम लोग निर्भय होकर सोषल मीडिया का उपयोग कर सके।

उसके अतिरिक्त इस निर्णय से एक प्रष्नचिन्ह लोकतन्त्र का घर अथवा मंदिर कहलाने वाले विधायिका अथवा संसद पर भी लगा है। संसद का कार्य राष्ट्रहित की दृष्टि से कानूनों का निर्माण करे एक निर्माण करते समय उसके विभिन्न पक्षों अथवा धाराओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। विगत् कुछ वर्षों का इतिहास साक्षी है कि अनेक विधियों का निर्माण पूर्ण रूपेण विचार विमर्ष किये बिना ही पारित कर दिया गया। सूचना प्रौघोगिकी (संषोधन) विधि 2008 में भी विभिन्न संषोधनों के अतिरिक्त धारा 66। को सम्मिलित किये जाने की प्रक्रिया मात्र आधे घंटे में पूर्ण कर ली गई। राज्यसभा में बिना कोई बहस किये इसे पारित कर दिया। इस तरह के श्षीघ्रता से पारित किये गये कानूनों का चरित्र भी जनविरोधी व

राष्ट्रविरोधी होता है। लोगों की आंषका थी कि इसके समाप्त किये जाने पर कही राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को हानि पहुचाने वाली व्यवस्था पंगु ना हो जाए? किंतु भारतीय दण्डसंहिता में पर्याप्त विधियां है। कोई भी विचार अथवा सूचना चाहे वह ऑनलाइन(इंटरनेट या सोषल मीडिया) पर हो अथवा ऑफलाइन(प्रिन्ट इलेक्ट्रानिक अथवा मौखिक) उस पर आई.पी.सी.सी. की विभिन्न धाराओं के तहत् कार्यवाही की जा सकती है। उदाहरणार्थ राष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती देने एवं देषद्रोह में भारतीय दंड संहिता 124। के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की सीमा सदैव ही विवाद का विषय रही है। इसलिए इसे भारत के संविधान में स्थान प्रदान किया।

निष्कर्ष–

सूचना प्रौघोगिकी(संषोधन) विधि 2008 की विवादास्पद धारा 66। को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित करना भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जनता के खोते विष्वास को बचाने एवं पुर्नस्थापित करने की दिषा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। इस धारा को लेकर विभिन्न सरकारों, राजनीतिक दलों एवं राजनेताओं सक्रियता थी? कुछ लोगों के मन में यह भी आषंका थी कि 66। के समाप्त हो जाने से राष्ट्र एवं समाज विरोधी तत्वों पर अंकुष रखने में कही भारतीय राज व्यवस्था पंगु ना हो जाए। आई टी एक्ट की धारा 66। इंटरनेट सोषल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर आदि पर डाले गये संदेष फोटो टिप्पणी या व्यक्त किये गये विचारों पर प्रतिबंध लगाती थी, साथ ही पुलिस को यह अधिकार दे देती थी कि वे इसके अन्तर्गत जब चाहे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। पुलिस के लिए सबसे लाभ की स्थिति यह थी कि इस धारा में किन आधारों पर किसी टिप्पणी अथवा विचार को अपराध की श्रेणी में रखा जाए यह स्पष्ट नहीं किया गया था। यह तथ्य ना तो टिप्पणी करने वाले और ना ही प्रषासन के लिए स्पष्ट नहीं था। मूलतः विभिन्न सरकारों ने इसका दुरूपयोग अपने हितों की पूर्ति एवं राजनीतिक स्वार्थों एवं उनके विरूद्ध उठे असहमति के स्वरों को कुचलने के लिये किया। पष्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेष, जम्मू–कष्मीर, केरल आदि विभिन्न दलों की सरकारों द्वारा जब–जब धारा 66। के अन्तर्गत लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाना इस बात का उदाहरण है कि कोई भी रा. दल अथवा सरकार इसका दुरूपयोग करने से पीछे नहीं रहे हैं।

कतिपय मामलों में तो फेसबुक पर किसी के द्वारा की गई पोस्ट को लाइक करने पर ही गिरफ्तार की गई। उत्तरप्रदेष जैसा राज्य इस मामले में अग्रणी रहा यहॉ 2 वर्षों में लगभग 400 मुकदमें इस धारा के तहत् दर्ज किये गये। 66। के माध्यम से राजसत्ता की सक्रियता का विषेष कारण भी रहा है। विगत कुछ वर्षों से राजसत्ता एवं व्यवस्था के दमनकारी चरित्र का पर्दाफष करने, उसका लोकतंत्रीकरण करने एवंज न सामान्य के सषक्तिकरण में इंटरनेट एवं सोषल मीडिया एक महत्वपूर्ण उपकरण सिद्ध हुए है। क्योंकि विभिन्न विचारों एवं सूचनाओं का मुक्त प्रवाह विष्व के कोने–कोने तक इन माध्यमों से

पहुचायॉ जा रहा है। यह प्रक्रिया से ना केवल लोकतंत्र का स्वस्थ विकास होता है बल्कि सरकार एवं शासक वर्ग की अलोकतांत्रिकता, अपारदर्षिता एवं जनसामान्य निरोधी क्रियाकलापों पर अंकुष भी रखा जा सकता है।

न्यायपालिका द्वारा दिये गये निर्णय के कई अर्थ है कि जल जंगल एवं भूमि संबंधित अथवा अन्य नागरिक आन्दोलन अथवा चरम परिस्थितियों में नक्सलवादी आंदोलन कार्यपालिका एवं विधायिका के त्रृटिपूर्ण नीतियों का ही परिणाम है अथवा परिणति है। इससे जनता का विष्वास न्यायपालिका पर बढ़ेगा और साथ ही यह संदेष जायेगा कि जन सामान्य के मौलिक अथवा मूलभूत अधिकारों का अतिक्रमण करने पर न्यायालय द्वारा कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. शकील अख्तर – भारत में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता (आजादी) कितनी बी.वी.सी. हिन्दी, 11 जनवरी, 2015।
2. बैजनाथ मिश्र – अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, सूचना अधिकार एवं मानवाधिकार का अन्तरसंबंध राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रकाषन संचायिका से ई पत्रिका, 30 मई 2015।
3. डॉ. एस. एस. मानसी, एक काले कानून की विदाई, राज एक्सप्रेस, 26 मार्च 2015, पृ.सं. 6।
4. रमेश उपाध्याय – अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का वास्तविक अर्थ, नवनीत मई, 2015, पृ.सं. 16। आवरण कथा बोल कि लब आजाद है तेरे,
5. धारा 66। समाप्ति बेहतरीन कदम – राज एक्सप्रेस, 25 मार्च, 2015, पृ.सं. 6।
6. इन्टरनेट की आजादी का फैसला – दैनिक भारस्कर –26 मार्च 2015, सम्पादकीय, पृ.सं. 8।
7. अब नेट पर बेखौफ लिखे – दैनिक भास्कर, 25 मार्च, 2015, पृ.सं. 01।
8. कोर्ट ने रद्द की आई टी एक्ट की धारा 66। राज खाज– राज एक्सप्रेस, 25 मार्च, 2015, पृ.सं. 13।
9. 66। खत्म फिर भी धाराऍ लगाएगी आप पर रोक – दैनिक जागरण, 21 सितम्बर, 2016।
10. लावेल बनाम ग्रिफिन(1938) 303 यू. एस. 444, साभार भारत का संविधान, जयषंकर पाण्डे, पृ.सं. 189।
11. मद्रास राज्य बनाम श्रीनिवासन ।प् 1950ै ब्ण् 124